

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर कोई सई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित																						
1	2	3																						
25/9/18	<p style="text-align: center;">न्यायालय अपर समाहर्ता, अररिया</p> <p style="text-align: center;">भूहदबंदी धारा 16(3) अपील वाद सं० 13/2009-10</p> <p style="text-align: center;">1. मो० नुरुद्दीन, पिता-स्व० मो० वाहिद, ग्राम-रजौला, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया - अपीलार्थी</p> <p style="text-align: center;">बनाम</p> <p>1. महेश साह व संतोष साह व जानकी देवी व सुमित्रा देवी व कौशल्या देवी व बीना देवी व राधा देवी, सभी पिता-स्व० झुब्बर साह, ग्राम-डुमरिया, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया - विपक्षी प्रथम पक्ष</p> <p>2. दिलीप प्रसाद साह, पे०-स्व० पुरण साह</p> <p>3. श्रीमती उमा देवी, पति-श्री झमेली साह</p> <p>4. शीला देवी, पति-श्री सुरेश प्रसाद साह, सभी पिता-स्व० पूरण साह, ग्राम-डुमरिया, थाना-कुर्साकांटा, जिला-अररिया - विपक्षी द्वितीय पक्ष</p> <p>5. बिहार सरकार - विपक्षी द्वितीय पक्ष</p> <p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>प्रस्तुत वाद आवेदक द्वारा वाद सं० 07/2008-09 अंदर धारा 16(3) भूहदबंदी अधिनियम में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.12.2009 के विरुद्ध समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में दिनांक 16.01.2010 को दाखिल किया गया। जिसे समाहर्ता, अररिया द्वारा दिनांक 30.07.2010 को विचारार्थ स्वीकृत किया गया तथा विधिवत निष्पादन हेतु दिनांक 25.08.2015 को इस न्यायालय को हस्तांतरित किया गया, जो उप समाहर्ता प्रभारी, जिला विधि प्रशाखा, अररिया के पत्रांक 1269/वि०, दिनांक 04.09.2015 द्वारा हस्तांतरित होकर इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात् उभय पक्षों की ओर से प्रतिउत्तर दाखिल होने के पश्चात् उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।</p> <table border="1" data-bbox="349 1827 1299 2056"> <thead> <tr> <th>मौजा</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>डीड सं०</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4">डुमरिया</td> <td rowspan="4">92</td> <td>54</td> <td>558</td> <td>0.11¼</td> <td rowspan="2">5525, दिनांक</td> </tr> <tr> <td></td> <td>560</td> <td>0.17¼</td> </tr> <tr> <td>57</td> <td>553</td> <td>0.02¼</td> <td rowspan="2">10.06.2008</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>कुल 0.30¾</td> </tr> </tbody> </table> <p>अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि प्रश्नगत भूमि का सर्वे खतियान कुसुम लाल साह के नाम प्रकाशित है। उनके मृत्युपरांत उनके दो पुत्र क्रमशः झुब्बर</p>	मौजा	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	डीड सं०	डुमरिया	92	54	558	0.11¼	5525, दिनांक		560	0.17¼	57	553	0.02¼	10.06.2008			कुल 0.30¾	
मौजा	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	डीड सं०																			
डुमरिया	92	54	558	0.11¼	5525, दिनांक																			
			560	0.17¼																				
		57	553	0.02¼	10.06.2008																			
				कुल 0.30¾																				



पूरण साह वरिष्ठ हिस्से के हकदार हुए तथा अग्रकृत अर्थात् पुत्रों के अग्रकृत हुए। पूरण साह के मृत्युपरांत उनके वारिष्ठान क्रमशः दिलीप साह एवं पुत्री श्रीमती उमा देवी तथा शीला देवी बराबर के हकदार हुए एवं भूमि पर दखलकार हुए। दिलीप साह काफी बीमार पर गये। ईलाज हेतु दिलीप साह एवं उनकी दोनों बहनों ने अपने हिस्से की उक्त भूमि बजरिये तीन निबंधित दस्तावेज 5525, दिनांक 10.06.2008 द्वारा नगद राशि प्राप्त कर हम अपीलार्थीगणों को बिक्री कर दी और दखल दे दिया।

इनका आगे यह भी कहना है कि जब विक्रेता के चाचा झुब्बर साह को भूमि बिक्री हो जाने की बात पता चला तो वे जमीन को कब्जा करने हेतु गलत रूप से भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में भूहदबंदी की धारा 16(3) के अन्तर्गत वाद सं० 07/2008-09 दाखिल कर अग्रकृत का दावा प्रस्तुत किया। जिसमें विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया ने अपीलार्थीगणों के विचारों को नहीं सुना और न ही कागजात का अवलोकन किया गया। मात्र विपक्षीगणों को फरीकेन मानते हुए विपक्षी के पक्ष में दिनांक 15.12.2009 को आदेश पारित कर दिया गया है, जो न्यायोचित नहीं है।

आगे इनका यह भी कहना है कि अपीलार्थीगण अपनी खरीदगी भूमि पर दखलकार है। विपक्षीगण कभी भी भूमि दखलकार नहीं रहें हैं। यह जमीन खेती योग्य है और अपीलार्थीगणों का पूर्व से इस जमीन के अगल बगल में जमीन है, जिसकी जाँच निम्न न्यायालय द्वारा नहीं कराया गया है। अपीलार्थीगण भूमिहीन की श्रेणी में है। इसलिये अपीलार्थीगण पर एरिया सिलिंग का वाद चलने योग्य नहीं है। अतः विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया का पारित आदेश दिनांक 15.12.2009 त्रुटिपूर्ण है, जिसे निरस्त करने का अनुरोध करते हैं।

दूसरी ओर विपक्षी प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कथन है कि यह सही है कि वादग्रस्त भूमि का खतियान उनके दादा कुसुम लाल साह के नाम से बना। जिसके मृत्यु के पश्चात् दो पुत्र झुब्बर साह व पूरण साह वारिस हुए। झुब्बर एवं पूरण साह के मृत्युपरांत विपक्षी प्रथम पक्ष एवं विपक्षी द्वितीय पक्ष उनके वारिष्ठान हैं। पूरण साह के वारिष्ठान विपक्षी द्वितीय पक्ष दिलीप साह ई० द्वारा अपीलार्थीगण को बिक्री की गई भूमि का अग्रकृत का दावा विपक्षी प्रथम पक्ष को बनता है। क्योंकि विपक्षी प्रथम पक्ष विवादग्रस्त भूमि के कोशेरर एवं समीपी रैयत है और धारा 16(3) भूहदबंदी एक्ट के तहत पूर्ण क्रयाधिकार उन्हें प्राप्त हैं।

इनका यह भी कहना है कि वादग्रस्त भूमि से संबंधित निष्पादित दस्तावेज की चौहद्दी में उनके पिता झुब्बर साह का नाम दर्ज है। जबकि अपीलार्थीगणों का नाम चौहद्दी में अंकित नहीं है। खतियान एवं केवाला की चौहद्दी से स्पष्ट है कि विपक्षीगण प्रथम पक्ष विवादित जमीन के कोशेरर एवं समीपी रैयत है। इसलिये यह एरिया सिलिंग का अपील वाद निर्वहन योग्य नहीं है और विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया का पारित आदेश न्यायोचित एवं बहाल रखे जाने योग्य है। जिसे बहाल रखते हुए



अपीलार्थीगणों के दावे को खारिज करने का अनुरोध करते हैं।

अतः उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों के परिशीलन तथा संलग्न साक्ष्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि का सर्वे खतियान कुसुम लाल साह, पिता-सुतरू साह के नाम दर्ज है। खतियानी रैयत के मृत्युपरांत उनके दो पुत्र झुब्बर साह एवं पूरण साह वारिस हुए। झुब्बर साह के मृत्युपरांत विपक्षी प्रथम पक्षगण उनके वारिश हुए तथा पूरण साह के मृत्युपरांत विपक्षी द्वितीय पक्षगण दिलीप साह ई० उनके वारिसान है। खतियान के अनुसार दोनों फरिकेन को ब हिस्सा बराबर भूमि प्राप्त है। पूरण साह के वारिशान दिलीप साह एवं अन्य के द्वारा वादग्रस्त भूमि बजरिये निबंधित दस्तावेज 5525, दिनांक 10.06.2008 द्वारा अपीलार्थीगणों को बिक्री कर दी गई है। उक्त विक्रय पत्र के विरुद्ध विक्रेता के चाचा झुब्बर साह द्वारा भूहदबंदी अधिनियम की धारा 16(3) के तहत अग्रक्रय का दावा प्रस्तुत करते हुए विक्रय मूल्य सहित 10 प्रतिशत अग्रधन की राशि कोषागार चलान के माध्यम से जमा कर विधिवत भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के न्यायालय में वाद 07/2008-09 दाखिल किया। जिसकी सुनवाई उपरांत विपक्षीगणों के पक्ष में दिनांक 15.12.2009 को विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया द्वारा आदेश पारित किया गया है। अपीलार्थीगणों द्वारा विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के पारित आदेश के विरुद्ध अपील वाद सं० 13/2009-10 दायर किया गया है।

निबंधित दस्तावेज सं० 5525, दिनांक 10.06.2008 की चौहद्दी में विपक्षी प्रथम पक्ष के पूर्वज झुब्बर साह का नाम अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि विपक्षी वादग्रस्त भूमि के समीपी रैयत है एवं खतियानी रैयत के वंशज होने के नाते वाद भूमि के कोशेरर भी है। जहाँ तक अपीलार्थीगण के भूमिहीन होने का दावा है तो अभिलेख में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे स्पष्ट हो सके कि अपीलार्थी भूमिहीन की श्रेणी में है। अतएव अपीलार्थी अपने दावे के समर्थन में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहें है। अतः वाद सं० 07/2008-09 में धारा 16(3) में विज्ञ भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया के पारित आदेश दिनांक 15.12.2009 में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होता है। जिसे बहाल रखते हुए अपीलार्थी के अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति एवं निम्न न्यायालय का अभिलेख अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उप समाहर्ता, अररिया को वापस भेजे।

लेखापित एवं संसोधित

५०-

अपर समाहर्ता
अररिया

६१-

अपर समाहर्ता
अररिया

आमंत्रण 125 / रा.स.प.स. अररिया, दिनांक 26.9.2018
प्रतिनिधि : भूमि सुधार उप समिति, अररिया का बजट नं. 07/2008-09
मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


25.9.18
अपर समाहर्ता
अररिया